अध्याय-I

अध्याय-I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में 31 मार्च 2013 को 13[1] सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत) थे। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी। सितम्बर 2013 तक अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,563.86 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। राज्य के सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 3,326.60 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2013 को इन्होंने कुल 7,773 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में नौ विभागीय उपक्रम (वि.उ.), जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किंतु वे सरकारी विभागो के अंग हैं, तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.), जिसका एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं, शामिल नहीं हैं।

---

[1] झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.), झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको), झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.), ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट), झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.), तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी.वी.एन.एल.), कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड (के.ई.एल.), झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी.सी.), झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.), झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.) और झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.एफ.डी.सी.)।

[2] झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.)।

1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान एक[3] सा.क्षे.उ. स्थापित हुआ और कोई भी सा.क्षे.उ. बन्द नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.6 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

1.7 सांविधिक निगम (झा.रा.वि.बो.) का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित है तथा इसका सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.8 31 मार्च 2013 को 14 सा.क्षे.उ. (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 6,606.39 करोड़ का कुल निवेश था जैसा कि ***तालिका - 1.1*** में वर्णित है।

तालिका - 1.1

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
171.10	734.57	905.67	-	5700.72	5700.72	6606.39

[3] झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.एफ.डी.सी.)

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशीकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिये गये हैं।

1.9 31 मार्च 2013 को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.59 प्रतिशत पूँजी में और 97.41 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश 79.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007-08 में ₹ 3,673.29 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 6,606.39 करोड़ हो गया, जैसा कि ***रेखाचित्र - 1.1*** में दिखाया गया है:

रेखाचित्र - 1.1

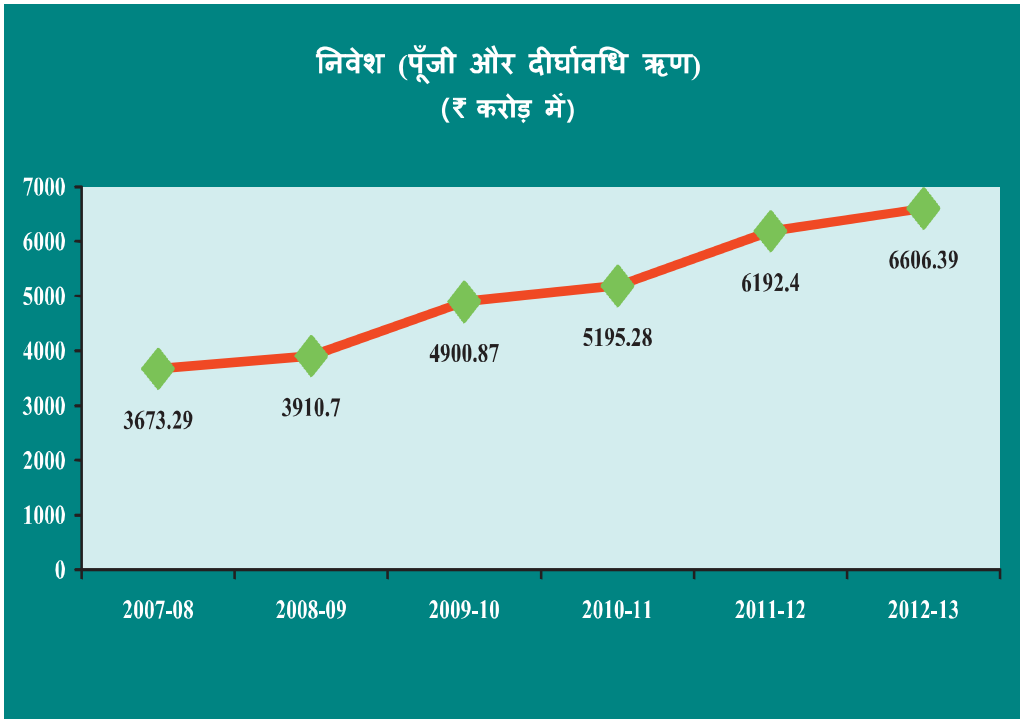

1.10 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2013 के अंत तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनके प्रतिशत ***रेखाचित्र - 1.2*** में प्रकट किये गये हैं।

रेखाचित्र - 1.2

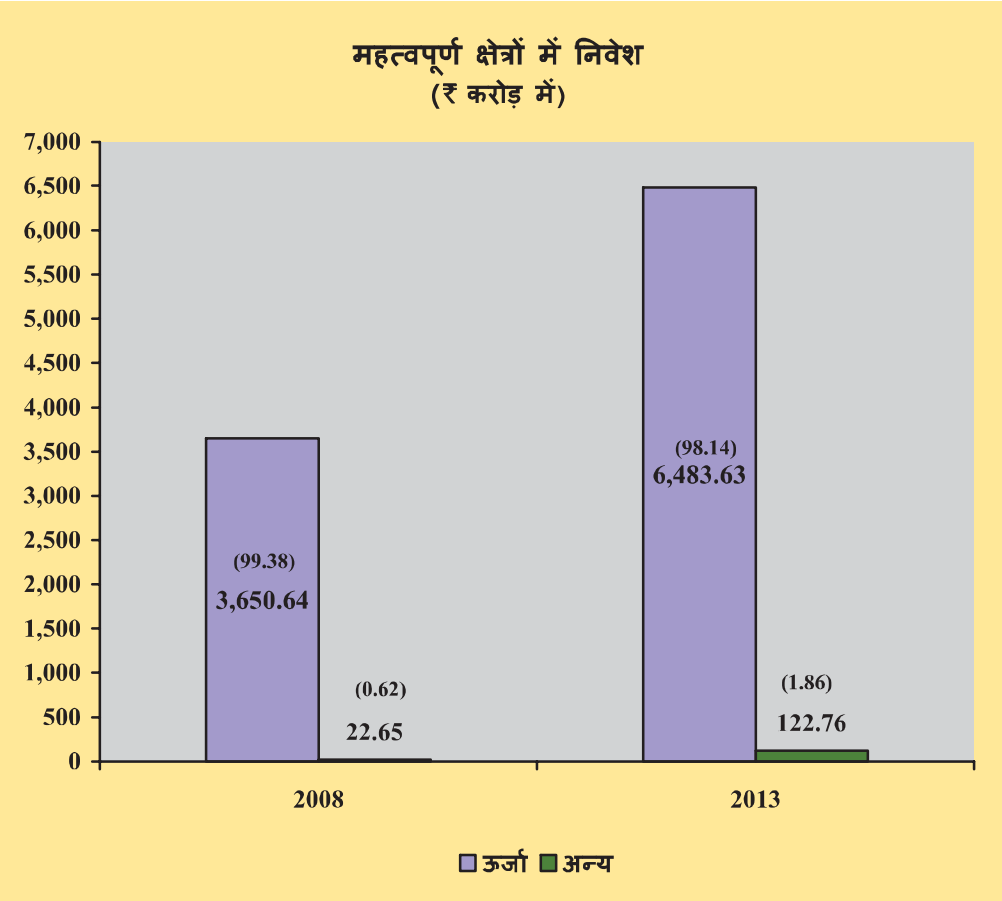

(कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ते प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2007-08 में ₹ 3,650.64 करोड़ से 77.60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6,483.63 करोड़ हो गया जो सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा मुख्यतः झा.रा.वि.बो. और टी.वी.एन.एल. को दिये गये ऋण के कारण हुआ।

अंश पूँजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.11 राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में मार्च 2013 के अंत में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.2*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2012-13 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित जावक का सारांशीकृत ब्यौरा ***तालिका - 1.2*** में दिया गया है।

तालिका - 1.2

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.[4]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	3	3.00	4	20.50	3	15.00
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	313.55	2	408.91	2	561.70
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	3	450.58	1	750.00	3	1187.67
	कुल जावक		**767.13**		**1179.41**		**1764.37**

1.12 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***रेखाचित्र - 1.3*** में दर्शाये गये हैं।

रेखाचित्र - 1.3

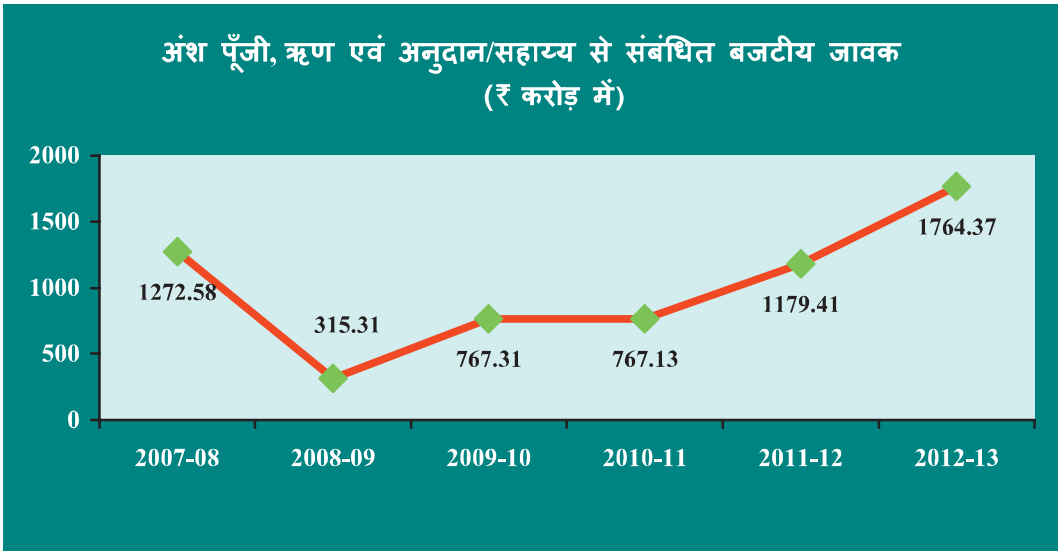

झा.रा.वि.बो. को ऋण (₹ 541.70 करोड़) एवं अनुदान (₹ 1,107.25 करोड़) और जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल. में अनुदान (₹ 75.00 करोड़) के बजटीय सहायता देने के कारण, बजटीय जावक वर्ष 2011-12 में ₹ 1,179.41 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,764.37 करोड़ हो गया।

[4] सात सा.क्षे.उ. का कुल जावक (जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.टी.डी.सी., जे.एस.बी.सी.एल., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको और झा.रा.वि.बो.।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 तक की स्थिति ***तालिका - 1.3*** में दी गई है:

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंश पूँजी	23.30	171.05	147.75
ऋण	7121.41	6198.17	923.24

1.14 हमने पाया कि दस[5] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अंतर पाया गया और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से ही लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

सा.क्षे.उ. का निष्पादन

1.15 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट-1.3, 1.4, एवं 1.5*** में दिये गये है।

1.16 2007-08 से 2012-13 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये कुल हानि (शुद्ध) ₹ 121.40 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,326.60 करोड़ हो गयी है जैसा की ***रेखाचित्र - 1.4*** में दिया गया है:

[5] टी.वी.एन.एल., जिडको, जे.टी.डी.सी., झारक्राफ्ट, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल., झालको, जे.एस.बी.सी.एल., जे.एस.एम.एफ.डी.सी. और झा.रा.वि.बो.।

रेखाचित्र - 1.4

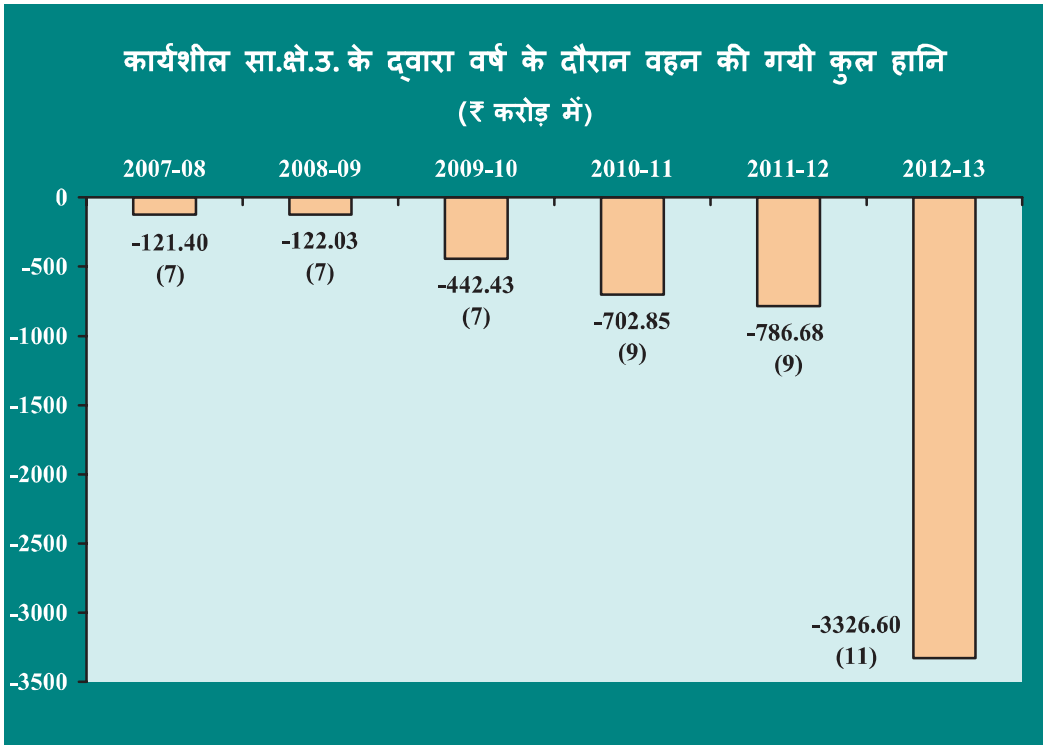

(कोष्ठक में आँकड़े अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार 14 सा.क्षे.उ. में से सात[6] सा.क्षे.उ. ने ₹ 26.35 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जबकि चार[7] सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,352.95 करोड़ की कुल हानि वहन की। सितम्बर 2013 तक शेष तीन[8] सा.क्षे.उ. ने अपना कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया। 2011-12 और 1999-2000 के अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार क्रमशः झा.रा.वि.बो. (₹ 3,211.03 करोड़) और टी.वी.एन.एल. (₹ 140.51 करोड़) द्वारा भारी हानि उठायी गयी।

शुद्ध हानि 2011-12 में ₹ 786.68 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,326.60 करोड़ हो गया जो मुख्य रुप से झा.रा.वि.बो. के हानि 2010-11 में ₹ 722.82 करोड़ से 2011-12 में ₹ 3,211.03 करोड़ होने के कारण हुई।

---

6 जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट,, जे.एस.एम.डी.सी., जिडको, जी.आर.डी.ए., और जे.टी.डी.सी.।

7 झालको, जे.एस.बी.सी.एल., टी.वी.एन.एल. और झा.रा.वि.बो.।

8 जे.एस.एम.एफ.डी.सी., के.ई.एल. और जे.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.।

1.17 सी.ए.जी. के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 3,257.35 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ वहन की एवं ₹ 67.81 करोड़ का निरर्थक निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय थी जैसा कि ***तालिका - 1.4*** में दिया गया है।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
शुद्ध हानि	702.85	786.68	3326.60	4816.13
सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	2650.89	487.27	119.19	3257.35
निरर्थक निवेश	46.17	10.61	11.03	67.81

1.18 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रदत्त पूँजी पर न्यूनतम वापसी देने की आवश्यकता हो। अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार सात[9] सा.क्षे.उ. ने ₹ 26.35 करोड़ का संचयी लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का समापन, लेखापरीक्षा और विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। ***तालिका -1.5*** कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2013) को दर्शाता है।

[9] जे.एस.एफ.डी.सी., जे.पी.एच.सी.एल., झारक्राफ्ट,, जे.एस.एम.डी.सी., जिडको, जी.आर.डी.ए., और जे.टी.डी.सी.।

तालिका - 1.5

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	10	11	12	13	14
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	7	14	12	8	20
3.	बकाया लेखे की संख्या	48	46	46	52	45*
4.	प्रत्येक सा.क्षे.उ. का औसत बकाया (3/1)	4.80	4.18	3.83	4.00	3.21
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखों का अंतिमीकरण होना बाकी था	10	11	12	13	14
6.	बकाये की अवधि (वर्ष)	1 से 15	1 से 16	1 से 17	1 से 16	1 से 13

1.20 2008-09 में दस सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 48 से घटकर 2012-13 में 14 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 45 हो गयी थी।

1.21 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित आठ सा.क्षे.उ. में, ₹ 2,171.33 करोड़ (अंश पूँजी: ₹ 27.00 करोड़, ऋण: ₹ 662.66 करोड़, अनुदान: ₹ 1,481.67 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा-जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सार्वजनिक कोष की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

* जे.एस.बी.सी.एल. ने 26.11.2010 से 31.03.2012 के अवधि के लिए एक लेखे बनाये जिसपर असमीक्षा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया, अत: 2010-11 के लेखे कुल बकाया लेखों से कम हो गया।

1.22 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिए हैं। यद्यपि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य को आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। सितंबर 2013 में प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया था एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता को उजागर किया था।

1.23 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखों का अंतिमीकरण समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.24 वर्ष 2012-13 के दौरान नौ कम्पनियों ने अपने उन्नीस लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2013 तक अग्रसारित किया। इसमें से छः कम्पनियों[10] के सोलह लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने पाँच लेखों पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं चौदह लेखों पर दोष-पूर्ण प्रमाण पत्र दिये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सी.ए.जी. के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद रूप से सुधार की जरूरत है। सी.ए.जी. के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण ***तालिका - 1.6*** में दिये गये है।

[10] झारक्राफ्ट, जे.एस.एम..डी.सी-2, जिडको-2, टी.वी.एन.एल.-4, जी.आर.डी.ए.-6 और झालको।

तालिका - 1.6

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.23	1	0.01
2.	लाभ में कमी	2	7.70	3	3.52	3	5.29
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.08
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	0.36
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	-	-	3	-

1.25 कम्पनियों के लेखों से संबंधित सी.ए.जी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी है:

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2011-12 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 15.17 लाख अधिक आकलित किया गया-

- योजना के क्रियान्वयन पर किए गए व्यय के अनुपात में ₹ 13.10 लाख का पर्यवेक्षण शुल्क का लेखांकन न करना;
- मार्च 2012 के महीने के लिये ₹ 1.13 लाख के विद्युत व्यय का प्रावधान न करना; और
- ₹ 0.94 लाख के बकाया वेतन का प्रावधान न करना

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2006-07 के लेखे

सिकनी कोयला खदान के खदान बंदी से संबंधित लागत का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ ₹ 2.48 करोड़ अधिक आकलित किया गया।

वर्ष 2007-08 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 2.65 करोड़ से अधिक आकलित किया गया-

- सिकनी कोयला खदान के खदान बंदी से संबंधित लागत ₹ 2.61 करोड़ का प्रावधान नहीं किया जाना;
- सिकनी कोयला खदान मे उपभोग किए गए विस्फोटक के लिए ₹ 14.68 लाख का प्रावधान नहीं किया जाना; और
- मार्च 2008 के सिकनी कोयला खदान के संवेदक से वसूलीय विस्फोटक के लागत ₹ 10.27 लाख का प्रावधान न करना।

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम लिमिटेड

वर्ष 2009-10 के लेखे

निम्न कारणो से वर्ष की हानि ₹ 36.28 लाख से अधिक आकलित किया गया-

- 31.03.2012 को मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 38.68 लाख का लेखांकन न करना; और
- वर्ष 2009-10 के दौरान अंश दायी भविष्य निधि पर कर्मचारियों तथा कम्पनी द्‌वारा दिए गए अंशदान पर ₹ 2.40 लाख के ब्याज का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य विद्‌युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) के वार्षिक लेखे

1.26 वर्ष के दौरान, 2011-12 के वार्षिक लेखे झा.रा.वि.बो. जिसका सी.ए.जी. एकल लेखापरीक्षक है, से प्राप्त किया गया जिस पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया गया था। सी.ए.जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की जरुरत है। झा.रा.वि.बो. के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दिए गए है:

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 26.22 करोड़ कम आकलित किया गया-

- सामान्य भविष्य निधि की शेष राशि पर ₹ 18.55 करोड़ का ब्याज का कम प्रावधान;
- वर्ष 2011-12 के दौरान डिपोजिट कार्य के लिए पर्यवेक्षन शुल्क के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि ₹ 1.76 करोड़ का लेखांकन आय

के रुप में किया गया, जबकि 31.03.2012 तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था;

- 31.03.2012 तक बैंक में मियादी/फैलेक्सी जमा के रूप में निवेश पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 5.23 करोड़ का लेखांकन न करना;
- कोयले के उपभोग की लागत ₹ 3.89 करोड़ का कम लेखांकन तथा अंतिम स्टाक का ₹ 0.28 करोड़ का कम आंकलन;
- वर्ष 2012-13 से संबंधित टैरिफ याचिका शुल्क ₹ 35.00 लाख का वर्ष 2011-12 में लेखांकन;
- लाइन एवं केवल नेटवर्क पर कम दर से ₹ 1.70 करोड़ ह्रास का कम लेखांकन; और
- बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज एवं वित्त शुल्क का ₹ 6.18 करोड़ कम आंकलन।

1.27 झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य ***तालिका - 1.7*** में दर्शायी गयी है।

तालिका - 1.7

क्र.सं.	विवरण	2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	1	5.58
2.	हानि में वृद्धि	1	31.80
कुल		**1**	

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को सी.ए.जी. के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षित की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आठ[11] कम्पनियों के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में

[11] झालको, जिडको, जे.पी.एच.सी.एल., जी.आर.डी.ए., झारक्राफ्ट, जे.एस.एम.डी.सी., टी.वी.एन.एल. तथा जे.एस.बी.सी.एल.

संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण ***तालिका - 1.8*** में दिये गये है।

तालिका - 1.8

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	कम्पनियों का क्रम संख्या परिशिष्ट-1.3 के अनुसार
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	3	क-08, क-06, क-07
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	3	क-03, क-05, क-11
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हो, का संधारण नहीं होना	3	क-02, क-04, क-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.29 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान में ₹ 71.06 लाख की वसूली हेतु झा.रा.वि.बो. प्रबंधन को इंगित किये गये थे, जिनमें से ₹ 4.05 लाख के मामले झा.रा.वि.बो. द्वारा स्वीकार किये गये, अपितु अभी तक झा.रा.वि.बो. द्वारा वसूली नहीं की गयी थी (अक्टूबर 2013)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.30 ***तालिका - 1.9*** झा.रा.वि.बो. के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है।

तालिका - 1.9

क्र.सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	पृ.ले.प्र. को उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार ने नहीं बताया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	
			2011-12	22.05.2013	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तथा वित्त एवं विद्युत विभाग के विभागीय सचिवों के ध्यान में लाया गया (सितंबर/नवंबर 2013)। परंतु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.31 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने हेतु किया गया है। 2012-13 के दौरान झा.रा.वि.नि.आ. ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर सात एवं अन्य मामलों में 16 आदेश जारी किये।

1.32 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता के रुप में समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को ***तालिका - 1.10*** में बतलाया गया है।

तालिका - 1.10

क्र.सं.	लक्ष्य		उपलब्धि
1.	बिक्री हेतु प्राप्त विद्युत में से तंत्र हानि को कम कर 18 प्रतिशत तक लाना		वर्ष 2012-13 में संचरण एवं वितरण हानि 33.46 प्रतिशत थी जो 18 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत ज्यादा थी।
2.	100 प्रतिशत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण	एकल चरण (शहरी)	100.00 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	79.02 प्रतिशत
		निम्न विभव (एल.टी.)	99.86 प्रतिशत
		उच्च विभव (एच.टी.)	100.00 प्रतिशत